न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2023	30.10.2023	30.10.2024

1–सतीश कुमार पुत्र देशराज जाट निवासी लखीमपुर, पॉस मशीन संख्या 28653, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन, तहसील मुण्डावर (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी, अलवर।

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 09.04.2021 जिला रसद अधिकारी अलवर हाल खैरथल–तिजारा प्रकरण संख्या 12/2017 बअनुवान सरकार बनाम सतीश कुमार जिसके द्वारा पॉस मशीन कॉड 28653 का प्राधिकार पत्र संख्या 1546/2012 विधि–विरूद्व तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने/साक्ष्य का अवसर दिये बिना निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित किये गये है, को मंसुख फरमाया जावे, तथा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्टान

02. विभागीय प्रतिनिधि – उपस्थित

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 09.04.2021 जिला रसद अधिकारी अलवर हाल खैरथल–तिजारा प्रकरण संख्या 12/2017 बअनुवान सरकार बनाम सतीश कुमार जिसके द्वारा पॉस मशीन कॉड 28653 का प्राधिकार पत्र संख्या 1546/2012 विधि–विरूद्व तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने/साक्ष्य का अवसर दिये बिना निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित किये गये है, को निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु पेश की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट 1/2 भाग ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन, तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा में उचित मूल्य का दुकानदार पॉस कोड 28653 है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1546/2012 है, जो वर्ष 2012 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व की गयी जॉच रिपोर्ट दिनाक 06.07.2017 में प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुये मातहत अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिस पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने दिनाक 30.06.2017 को जिला रसद अधिकारी अलवर हाल

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज.)

खैरथल–तिजारा द्वारा निलम्बित किया गया है, जिस आदेश के विरूद्व मिन अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 12/28/2018 न्यायालय के समक्ष दिनाक 26.02.2018 को पेश की गयी। जिसका निर्णय दिनाक 06.06. 2018 पारित कर पारित निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवाते हुये निर्देश दिये गये की अपीलान्ट के विरूद्व विचाराधीन विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रकरण को यथा दो माल में गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करे। जिसके पश्चात दिनाक 12.03.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तहत अदालत द्वारा बहाल किया गया, एवं विभागीय प्रकरण को विचाराधीन रखा। तहत अदालत द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर दो माह की अवधि में निस्तारित करने के आदेश दिनाक 06.06.2018 को दिये गये थे, किन्तु उसके बावजुद तहत अदालत द्वारा करीब नो माह पश्चात दिनाक 12.03.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था। एवं विभागीय जॉच प्रकरण को विचाराधीन रखा गया, जिस प्रकरण का निर्णय दिनाक 09.04.2021 को मिन अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये किया गया है। दिनाक 12.03.2019 को जब अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था, उससे पूर्व ही न्यायालय हाजा के निर्णय दिनाक 06.06.2018 की प्रति तहत अदालत के यहा मोजूद थी, जिससे बावजूद न्यायालय हाजा के निर्णय का हवाला दिये बिना केवल 90 दिवस का बहाना लेकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था। और दिनाक 30.03.2019 की तारीख पेशी नियत की गयी थी। दिनाक 30.03.2019 के पश्चात तहत अदालत द्वारा प्रकरण में कोई तारीख नियत नही की गयी। दिनाक 04.10.2019 की आदेशिका में यह दर्ज किया गया है, कि पत्रावली बस्ता खामोशी से बरामद होने पर आगे तारीख नियत की गयी, जिस पर अपीलान्ट दिनाक 06.11.2019 व 25.11.2019 की पेशियो पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। दिनाक 25.11.2019 की तारीख पेशी के उपरान्त 7 तारीख पेशीयो यानि दिनाक 24.08.2020 तक पी. ओ राजकार्य में व्यस्त रहे, सुनवाई नही की गयी। उसके पश्चात अपीलान्ट एक दो मर्तबा तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के यहा उपस्थित हुआ तो अपीलान्ट को जाहिर किया गया कि कोरोना काल चल रहा है, और आप पहले से ही बहाल हो चुके हो एवं आप डायबिटीज के मरीज हो इस लिये कार्यालय में आने की आवश्यकता नही है। जिस वहज से अपीलान्ट तहत अदालत कार्यालय में पेशियो पर उपस्थित नही हुआ, जिसका उक्त पर्याप्त कारण रहा है। अपीलान्ट के प्रकरण में अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आलोच्य निर्णय दिनाक 09.04.2021 के जर्ये निरस्त किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा दिनाक 23.02.2018 के कारण बताओ नोटिस का जवाब तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के समक्ष दिनाक 27.07.2018 को दस्तावेज एवं साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर दिया गया था, उसके बाद अपीलान्ट को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नही किया गया। अपीलान्ट के विरूद्व तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के यहा झूठे तथ्यो पर मुकेश पुत्र सुमेर सिंह जाट द्वारा वर्ष 2017 में शिकायत की गयी थी, जो कि अपीलान्ट के परिवार का ही व्यक्ति है। शिकायतकर्ता के द्वारा अपने पिता सुमेर सिंह के नाम से तीन पृथक–पृथक रार्शन कार्ड बनवाये हुये है। जिन तीन रार्शन कार्डो पर ही शिकायतकर्ता रार्शन प्राप्त करना चाहता था। अपीलान्ट को शिकायतकर्ता के पिता के नाम से तीन रार्शन कार्ड की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने सुमेर सिंह के बीपीएल रार्शन कार्ड पर उचित मूल्य सामग्री प्रदान की गयी। जिसे नाराज होकर द्वेषभावना के चलते मुकेश पुत्र सुमेंर सिंह द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व झूठी शिकायत की गयी, और अपीलान्ट के पिता व सुमेर सिंह के मध्य जमीन जायदाद के मुकदमे विचाराधीन रहे थे, जिसकी रंजिश भी अपीलान्ट के प्रति मुकेश पुत्र सुमेर सिंह की रही है, जिन तथ्यो को मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रकट कर दिया था। जिला रसद अधिकारी के यहा पेश जॉच में जिन व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाये गये थे, उन व्यक्तियो/उपभोक्ताओ एव संरपंच ग्राम पंचायत ने जिला रसद अधिकारी के यहा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वो स्वंय के द्वारा पेश शिकायत वापिस लेते है, हमारी रार्शन सामग्री हमें समय पर मिलती है, हम रार्शन डीलर से संतुष्ट है, उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है, एवं रार्शन डीलर उचित मूल्य दुकानदार को सामग्री वितरण करने हेतु निर्णय

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल–तिजारा (राज.)

किया जावे। तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के यहा से एक नोटिस क्रमांक 13044 दिनाक 12.07.2017 का अपीलान्ट कों प्राप्त हुआ था, जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब दिनाक 19.07.2017 प्रस्तुत कर दिया था। अपीलान्ट पर निम्न आरोप विरचित किये गये थे व जवाब दिये गये थे। अपीलान्ट पर गलत जॉच रिपोर्ट दिनाक 06.07.2017 के आधार पर जो आरोप विरचित किये गये थे, वो गंभीर प्रकृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिये ही विरचित किये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नही था। उक्त के पश्चात तहत अदालत जिला रसद अधिकारी द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व एक नोटिस क्रमांक 2949 दिनाक 23.07.2018 का जारी किया गया जिसका समुचित जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा मय दस्तावेजात एवं साक्ष्य सहित दिनाक 27.07.2018 को तहत अदालत जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। मिन अपीलान्ट के जवाब से संतुष्ट होकर दिनाक 12.03.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तहत अदालत द्वारा बहाल किया गया था। दिनाक 12.03.2019 के पश्चात जब अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था, जिसके पश्चात मिन अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही, न ही कोई जॉच की गयी न ही कोई आरोप पत्र जारी हुआ, बिना आरोप पत्र जारी किये, बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये, बिना अपीलान्ट को सुने मनमाने रूप से तहत अदालत जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनाक 09.04.2021 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट सतीश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम लखीमपुर ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन तहसील मुण्डावर द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बन के विरूद्व न्यायालय जिला कलक्टर अलवर में अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनाक 06.06.2018 की अनुपालना में अपीलान्ट सतीश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम लखीमपुर ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन तहसील मुण्डावर को क्रमांक 2949 दिनाक 23.07.2018 को जारी कर पुनः प्रकरण में सुनवाई का अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनाक 27.07.2018 दिया गया। अपीलान्ट सतीश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम लखीमपुर ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन तहसील मुण्डावर द्वारा दिनाक 27.07.2018 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय नही है, पश्चावर्ती सोच प्रतीत होती है। अप्रार्थी तारीख पेशी दिनाक 25.11.2019 से नियमित रूप से अनुपस्थित रहा है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 475 कि0ग्रा0 गैहू एवं 110.5 लीटर केरोसीन पॉस मशीन के माध्यम से ट्रान्जेक्शन किये जाने के बावजूद उपभोक्ताओ को राशन सामग्री का वितरण नही किया जाना पाया जाने पर अपीलान्ट द्वारा किया गया कृत्य राजस्थान खाद्वान्न एवं अन्य आवश्यक पदाथ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,7,11,17 (सी) एवं 18 का उल्लंधन तथा राष्ट्रीय खाद्व सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लधंन किया जाना साबित होने पर अपीलान्ट सतीश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम लखीमपुर ग्राम पंचायत सामदा हाल ग्राम पंचायत बधीन तहसील मुण्डावर का प्राधिकार पत्र संख्या 1546/2012 निरस्त किया गया है। तथा अपीलान्ट की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की गयी है। अपील अपीलन्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील में मुख्य कथन किया है, कि प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व की गयी जॉच रिपोर्ट दिनाक 06.07.2017 में मनमाने तथ्य दर्ज करते हुये तहत अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिस पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने दिनाक 30.06.2017 को जिला रसद अधिकारी अलवर हाल खैरथल–तिजारा द्वारा निलम्बित किया गया है, जिस आदेश के विरूद्व मिन अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 12/28/2018 न्यायालय के समक्ष दिनाक 26.02.2018 को पेश की

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)

गयी। जिसका निर्णय दिनाक 06.06.2018 पारित कर पारित निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवाते हुये निर्देश दिये गये की अपीलान्ट के विरूद्व विचाराधीन विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रकरण को यथा दो माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करे। जिसके पश्चात दिनाक 12.03.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तहत अदालत द्वारा बहाल किया गया, एवं विभागीय प्रकरण को विचाराधीन रखा। तहत अदालत द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर दो माह की अवधि में निस्तारित करने के आदेश दिनाक 06.06.2018 को दिये गये थे, किन्तु उसके बावजुद तहत अदालत द्वारा करीब नो माह पश्चात दिनाक 12.03.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। एवं विभागीय जॉच प्रकरण को विचाराधीन रखा गया, जिस प्रकरण का निर्णय दिनाक 09.04.2021 को मिन अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये किया गया है। जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत जिला रसद अधिकारी अलवर हाल खैरथल– तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 09.04.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश से साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसमत जॉच कर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0)
सत्यमेव जयते